

[Extract from Haryana Government (Extra.), dated the 30th May, 2014]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**Notification**

The 30th May, 2014

**No. PF-70/ 11350 .-** In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 7 B of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Governor of Haryana hereby specifies the following time- limit for development of a cyber park colony and group housing colony approved under Affordable Housing Policy, namely:-

- 1. Time limit for completion of cyber park colony.-** A coloniser who has been granted a licence by the Director for the establishment of cyber park colony shall be required to complete at least 60% of the permitted floor area, and obtain occupation certificate within a period of four years from the date of this notification or grant of licence, whichever is later and apply for grant of completion certificate under rule 16.
- 2. Time limit for completion of a group housing colony approved under the Affordable Housing Policy.-** A coloniser who has been granted a licence by the Director for the establishment of group housing colony under the Affordable housing Policy shall be required to complete the entire construction and development works of the colony and obtain occupation certificate within a period of four years from the date of approval of building plans or date of grant of environmental clearance, whichever is later and apply for grant of completion certificate under rule 16.

T.C Gupta,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2014

**संख्या पी.एफ. 70/ 11350 .-** हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 7ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा वहन करने योग्य आवास नीति के अधीन अनुमोदित ग्रुप आवास उपनिवेश तथा साईबर पार्क उपनिवेश विकास के लिए निम्नलिखित समय सीमा विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :-

- 1 **साईबर पार्क उपनिवेश को पूरा करने के लिए समय सीमा .-** कोई उपनिवेशक जिसे साईबर पार्क उपनिवेश की स्थापना करने के लिए निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई है, को अनुज्ञात फर्श क्षेत्र का कम से कम 60 प्रतिशत पूरा करना अपेक्षित होगा, तथा इस अधिसूचना या अनुज्ञप्ति देने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा नियम 16 के अधीन सम्पादन प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।
- 2 **वहन करने योग्य आवास नीति के अधीन अनुमोदित ग्रुप आवास उपनिवेश के निष्पादन के लिए समय सीमा .-** उपनिवेशक जिसे वहन करने योग्य आवास नीति के अधीन ग्रुप आवास उपनिवेश की स्थापना करने के लिए निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई है, को उपनिवेश के सम्पूर्ण निर्माण तथा विकास कार्यों को पूरा करना तथा भवन योजनाओं के अनुमोदन की तिथि या पर्यावरणीय समाशोधन को देने की तिथि, जो भी बाद में हो, से चार वर्ष की अवधि के भीतर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा नियम 16 के अधीन समापन प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।

टी. सी. गुप्ता,  
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।